सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 41/12 **निर्णय दिनांकः—25.05.2018**

1.	सोनीदेवी	पत्नी/पुत्र/पुत्रियॉ स्व. मोडाराम जाति मेधवाल निवासी आम्बासर तहसील व जिला बीकानेर।
2.	भंवरलाल	
3.	सूर्यप्रकाश	
4.	चन्द्रकला उर्फ बायला	
5.	बसन्ती	
6.	राजेश्वरी	
7.	सुमन	

अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30—03—1977
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

उपस्थिति :—

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 30—03—1977 जिसके द्वारा अपीलांट का गैर खातेदारी आवंटन क्षेत्राधिकारी के बाहर जाकर निरस्त किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में भू—राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर अपीलांट की पात्रता के आधार पर ग्राम मोतीगढ़ के खसरा नम्बर 1164/402 तादादी 50 बीघा का 10 साला आवंटन किया गया था तथा अपीलांट के नाम विधिवत पट्टा भी जारी कर दिया गया। उक्त आवंटन के पश्चात् से ही अपीलांट का वादगत् भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। राज्य सरकार के ऐसे आदेश है कि आवंटन के दस साल उपरान्त स्वतः ही कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है।

उन्होंने आगे बताया कि तहसीलदार बीकानेर ने ग्राम मोतीगढ़ के 136 व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तुत की गई। जिसमें अपीलांट का भी नाम दर्ज है। इन 136 व्यक्तियों की सूची में आवंटियों का आवंटन इस आधार पर खारिज करने की अनुशंसा की गई कि इन व्यक्तियों द्वारा लगान समय पर जमा नहीं करवाये है एवं मौंके पर आबाद होकर काश्त नहीं करते है। तहसीलदार द्वारा उक्त सूची उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित कर दी गई। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलांट को बिना सूचना दिये एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवंटन निरस्त करने के आदेश पारित कर दिये गये। अदालत मातहत द्वारा उक्त आवंटन निरस्त करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि आवंटन नियम 1970 के नियमों के तहत गैर खातेदारी आवंटन तत्कालीन आवंटन अधिकारी ने किया था ऐसी स्थिति में आवंटन खारिज करने की शक्तियॉ अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं थी। आवंटन नियमों के तहत गैर खातेदारी आवंटन होने के बाद अधिनस्थ न्यायाला को आवंटन निरस्त करने की शक्तियॉ प्राप्त नहीं है। यदि आवंटन निरस्त भी किया जाता है तो उसकी शक्तियॉ जिला कलेक्टर को प्राप्त है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील क्षेत्राधिकार से बाहर होने से निरस्त योग्य है।

अदालत मातहत को केवल मात्र यह देखना था कि उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित है अथवा नहीं? तथा उसका पट्टा खारिज किया गया है अथवा नहीं? दोनों की स्थितियॉ अपीलांट के पक्ष की है। वादगत् भूमि आज दिनांक तक अन्य को आवंटित नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को वादगत् आराजी का कब्जा सुपुर्द करते हुए अपीलांट के टी.सी. आवंटन को पुख्ता किये जाने के आदेश प्रदान करने चाहिए थे। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश तहसील हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलांट की गैर हाजरी में बिना किसी आधार के निरस्त किया गया है। जो काबिल निरस्त होने से निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्ज काश्त नहीं है। अपीलांट टी. सी. में आवंटित भूमि पर काबिज ना होने व लगान अदा नहीं करने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का टीसी आवंटन खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गइ है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अपीलांट को तहसील बीकानेर के ग्राम मोतीगढ़ में खसरा नम्बर 1164/402 में रकबा 50 बीघा भूमि 10 साला टी.सी. आवंटन किया गया था।

(2) अपीलांट द्वारा आराजी जैर के टी.सी. से पुख्ता आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार हल्का से आवेदित भूमि की रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में यह अंकित है किया गया कि अपीलांट द्वारा लगान अदा नहीं किया गया ना ही मौके पर आबाद होकर काश्त कर रहे है। इस आधार पर उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपीलांट की दस साला टीसी आवंटन खारिज किया गया है।

(3) हमने पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि का इन्द्राज अपीलांट के नाम से दर्ज चला आ रहा है। इसी प्रकार अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत इंतकाल संख्या 508 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के नाम से दस साला आवंटन उपखण्ड अधिकारी के द्वारा किया गया मानते हुए इंतकाल स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य भली भांति स्पष्ट है कि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाम से दर्ज की जा चुकी थी।

(4) इस संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08—11—2007 क्रमांक प—5(ए) 24/उप.नि/4/4604 उल्लेखनीय है कि इगानप क्षेत्र में जिन अस्थाई कृषि पट्टाधारकों के अस्थाई आवंटन इन कारणों से निरस्त हुए हैः—(1) जिनके अस्थाई धारण की भूमि त्रूटिवश अन्य को आवंटन हो गई हो, (2)या किसी अन्य कारणवश राजकीय भूमि घोषित कर दी गई अथवा, (3) उस स्थान पर वह भूमि आवंटन योग्य व उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे उपरोक्त श्रेणी के अस्थाई कृषि पट्टाधारकों से (ए) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर या(बी) यदि ऐसे आवेदन पूर्व में आंमत्रित किये जा चुके है, तो सामान्य आवंटन में उपलब्ध शुद्व राजकीय भूमि में से वर्तमान में उस आवेदक की भूमि पात्रता आदि की जॉच की जाकर राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन विक्रय नियम 1978 के नियम 7 में वर्णित प्राथमिकताओं के अनुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

(5) राज्य सरकार के निर्देश स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्देशों की पालना करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया एवं प्रार्थी के आवेदन को लम्बे समय से न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने व उसके हक में अपील न्यायालय से निर्णय होने एवं राज्य सरकार के उक्त परिपत्र जो कि ऐसे काश्तकारों के हितों की रक्षा व उनके मामलों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की दृष्टि से पारित किया है– का कोई परिशीलन नहीं किया और ना ही कोई हवाला दिया व सरसरी तौर पर उसका आवेदन बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये निरस्त कर दिया गया।

अपीलार्थी को लम्बी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात् भी कोई न्याय नहीं मिला–इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एवं इस श्रेणी के काश्तकारों के हितों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2007 में उक्त परिपत्र जारी करना समीचीन समझा।

(6) ऐसे लाभकारी उपबन्ध जो काश्तकारों के हितों में जारी करना तात्पर्यित है, एवं ऐसा काश्तकार जो वर्षो बाद भी न्यायिक प्रक्रियाओं के जाल में अपने कब्जे की भूमि की खातेदारी प्राप्त करने की आशा में आज भी उलझा है, को इस उपबन्ध का लाभ दिया जाना यह न्यायालय उचित एवं लोकहित में आवश्यक समझता है, क्योंकि ऐसे उपबन्धों का आश्य भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना तात्पर्यित है, जैसा कि उक्त परिपत्र की भाषा से परिलक्षित है।

यह खेद का विषय है हो सकता है कि ऐसी स्थिति में जबकि स्थिति राज्य सरकार द्वारा अपने परिपत्र में स्पष्ट कर दी गई है। अपीलांट की अपील केवल इस आधार पर निरस्त कर दी जाये कि अपीलांट/प्रार्थी मौके पर काबिज नहीं है तथा लगान अदा नहीं किया गया है। इस हेतु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ना तो सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया ना ही सबूत प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। जबकि राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी में अपीलांट का नाम अंकित चला आ रहा है व अपीलांट के नाम से वादगत् भूमि का इंतकाल भी स्वीकृत किया जा चुका है।

(7) हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अपील मीमो एवं रिपोर्ट पटवारी का मनन किया, राज्य सरकार के परिपत्र की उपराक्त विवेचनानुसार परिशीलन करने के उपरान्त व अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा प्रयास करने के उपरान्त भी ऐसा कोई आदेश पारित किया गया हो ज्ञात नहीं हुआ है ना ही राज्य पक्ष की और से इस संबंध में कोई दस्तावेज हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर की गई होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर दिनांक 30—03—1977 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में समस्त तथ्यों की जॉच कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर